

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)  
आजाद सिंह बनाम नारन

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 282/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/6/25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / भीमती ..... आजाद सिंह</p> <p>पिता श्री ..... राजेश सिंह</p> <p>निवासी- ..... तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... योगावड़ी प.ठ. बजेरिया स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 275 0.42</p> <p>कुल कीता ..... 01 ..... कुल रकबा ..... 0.4200 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम ..... योगावड़ी (बजेरिया) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 275 0.42</p> <p>कुल कीता ..... 01 ..... रकबा ..... 0.42 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क ..... 500 रूपये अक्षर ..... प्रावली 199 प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(वीनू देवल) सहायक रजिस्टर एर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>